



फोन नं. 07723-223834
फैक्स नं. 07723-224036
email : zp-msamund.cg@gov.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

5573

//मर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक / / VB-GRAM G / जि.पं. / 2026-27

महासमुन्द, दिनांक 12/10/2026

आयुक्त विकसित भारत-जी राम जी नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक I/608889/2026/वि-7/स्था/VB-G RAM G नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2026 द्वारा विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों में से जनपद पंचायत स्तर पर रिक्त अधोलिखित पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 30/10/2026 को सायं 05:30 बजे तक निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र	पद का नाम	एकमुश्त सविदा वेतन	रिक्त पद संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
				महिला	दिव्या	भूपुरी	मुक्त	योग	महिला	दिव्या	भूपुरी	मुक्त	योग	महिला	दिव्या	भूपुरी	मुक्त	योग	महिला	दिव्या	भूपुरी	मुक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	कार्यक्रम अधिकारी	39875/-	1 (बैक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (बैक)	1
2	सहायक प्राग्रामर	35165/-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	लेखापाल	23350/-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
योग :-				5	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक :-

क्रमांक	पदनाम का नाम	विवरण	शैक्षणिक योग्यता एवं चयन मेरिट अंक
1.	कार्यक्रम अधिकारी	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	1. प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई./MRTM (Master of Rural Technology and Management) / गणित अथवा भौतिक विषय में स्नातकोत्तर
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 70 अंक। 2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंक का Weightage देते हुए 15 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव:- अ. न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक। ब. 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक। स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।
2.	सहायक प्राग्रामर	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी (कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी/एस.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक0 या समकक्ष उपाधि।
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 45 अंक। 2. कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंक का Weightage देते हुए 40 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव:- अ. न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक। ब. 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक। स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।
3	लेखापाल	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	55 प्रतिशत में बी.कॉम (अ.ज.जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम.)
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 20 अंक। 2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुए 50 अंक। 3. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। 4. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव:- अ. न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक। ब. 02 से 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक। स. 5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।

नियम एवं शर्तें :-

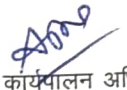
- 1 उपरोक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
- 2 उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों अनुसार प्रत्येक संवर्ग के महिला (30 प्रतिशत), भूतपूर्व सैनिक (10 प्रतिशत) एवं दिव्यांग (06 प्रतिशत) के लिये समस्तर आरक्षण रहेगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी संवर्ग के मुक्त वर्ग के अभ्यर्थी से चयन किया जावेगा।
- 3 शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
- 4 संविदा नियुक्ति नियुक्त उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2027 तक के लिए होगी तत्पश्चात नियुक्तिकर्ता अधिकारी कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 5 संविदा नियुक्ति अवधि में शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन देय होगा।
- 6 आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। शासन द्वारा आयु सीमा में दी गई छूट लागू होगी।
- 7 रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा एक वर्ष तक किसी भी कारणों से उत्पन्न रिक्तियों पर इसी विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों से नियमानुसार नियुक्ति की जा सकेगी।
- 8 संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी एवं नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
- 9 संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- 10 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 11 चयन की कार्यवाही एवं संपूर्ण प्रक्रिया इस हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी।
- 12 अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- 13 जिन उम्मीदवारों को कम्प्यूटर व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, उनके कौशल परीक्षा में अनुपस्थिति की दशा में उन्हें अपात्र माना जाएगा।
- 14 शैक्षणिक योग्यता हेतु शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय के यथा स्थिति प्रमाण पत्र/उपाधि मान्य होंगे एवं कम्प्यूटर संबंधित अर्हता हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी आदेशानुसार निम्नलिखित संस्थाओं के प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
 - 1 मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्ययसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
 - 2 मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फारमेशन टेक्नालाजी/माडन आफिस मैनेजमेन्ट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
 - 3 वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीग्रेड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फारमेशन टेक्नालाजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नाकोत्तर उपाधि।
- 4 DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।
- 15 विज्ञापित पदों पर शैक्षणिक आहर्ता/आयु/अनुभव आदि के संबंध में अस्पष्टता की स्थिति में शासन द्वारा जारी दिशा/निर्देशों के तहत निर्णय लिया जावेगा।
- 16 अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की जाति की पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 17 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ फोटो, वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति स्वप्रमाणित होना चाहिए।
- 18 अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 19 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें।
- 20 आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीडपोस्ट से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का टिकट लगा हुआ दो लिफाफा भी संलग्न करें।
- 21 अनुभवही अभ्यर्थी को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं अनापत्ति /अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 22 प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 23 आवेदक का आवेदन दिनांक 30.10.2026 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 24 विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला पंचायत महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं www.mahasamund.gov.in वेबसाईट में भी अपलोड किया जावेगा। विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी एवं किसी कारण से यदि व्यक्तिगत सूचना के प्राप्ति में विलंब होने अथवा सूचना प्राप्त न होने पर वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचना माना जावेगा।
- 25 आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
- 26 आवेदक जिनकी दो से अधिक संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 27 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति /पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

AM

- 28 ऐसे आवेदक जिन्हे पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किसी पद से पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गयी है, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ.क्रमांक/ **5574** /VB-GRAM G / जि.प. / 2026-27
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द
महासमुन्द, दिनांक 12/10/2026


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द